सराहनीय कार्य
इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 16.09.2023

पुलिस के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले व दहेज एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण मे थाना सैफई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 28.08.2023 की रात्रि को सूचना कर्ता सत्यवीर सिंह द्वारा डायल-112 पर उसकी पुत्री को उसके पति व अन्य ससुरालीजनों द्वारा बन्द कमरे में मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी सूचना पर पहुँची पुलिस टीम के साथ विपक्षीगण रामपाल, बृजराज द्वारा कार्य सरकार में बाधा उत्पन्न की गयी तथा उनके साथ अभद्रता की गयी, जिस पर वादी मुख्य आरक्षी प्रमोद कुमार की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना सैफई पर मु0अ0सं0 177/23 धारा 332/323/336/353/504 भादवि पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद मे अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशो के क्रम मे दिनांक 15/16.09.2023 की रात्रि को थाना सैफई पुलिस थाना क्षेत्रांतर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर 01 अभियुक्त को कौशल्या देवी इन्टर कालेज के पास से समय 07.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

नोटः- अभियुक्त बृजराज सिंह को दिनांक 31.08.2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1. रामपाल पुत्र बृजराज सिंह यादव निवासी ग्राम हरिज्ञान थाना सैफई जनपद इटावा उम्र 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 177/23 धारा 332/323/336/353/504 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 176/23 धारा 498ए/323/506 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा।

पुलिस टीमः- निरीक्षक श्री मो0 कामिल प्रभारी थाना सैफई, उ0नि0 सन्त कुमार, हे0का0 अवध किशोर, का0 अंकित यादव।